।

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
184 / 2024	01 / 10 / 2024	12 / 08 / 2025

1- कल्लूराम पुत्र रामसहाय उम्र 61 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

..वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र सेडूराम
2. तेजपाल पुत्र रामचन्द्र
3. राजकुमार पुत्र ज्ञानचन्द
4. सीताराम पुत्र ज्ञानचन्द
5. विनोद पुत्र ज्ञानचन्द जाति रैगर निवासी बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
6. राज० सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री महेश शर्मा वकिल वादी

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक 12 / 08 / 2025

वादी की ओर से यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इन कथनों के साथ पेश किया गया है कि कृषि भूमि खसरा नं0 172 रकबा 0.5100 हैक्टेयर अनुसार वाकै ग्राम बोबाडी, पटवार हल्का बोबाडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है तथा वादी के हित में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकितानुसार खातेदारी व कब्जे काश्त में स्थित है। उपरोक्त वर्णितानुसार भूमि आगे वादग्रस्त आराजियात से सम्बोधित है, जिससे प्रतिवादीगण को कोई लेना देना व संबंध सरोकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि में वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि अवैध घुसपैठ सहित मौके पर कच्चा पक्का निर्माण व कब्जा इत्यादि करने एवं नींव खुदाई कर पुख्ता निर्माण सहित मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करते हुए वादी वादांकित भूमि को हडप करने पर आमदा फिसाद है, जिसका अधिकार प्रतिवादीगण को एवं उनके परिवार सहित अन्य को को कतई ही नहीं है तथा प्रतिवादीगण की नापाक प्रयत्नों से वादी के मालिकाना स्वामित्व के विधिक अधिकार बाधित हो रहें है। जो कि खातेदार काश्तकार वादी के विरूद्ध गैर कानूनी है। वादी की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकितानुसार मालिकाना की वादग्रस्त भूमियों से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। जो कि प्रतिवादीगण अपने लठबल के आधार पर खातेदार वादी के विधिक मालिकाना स्वामित्व की भूमियों को हड़पने की कुचेष्ठा रखते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त कृषि कार्य, उपयोग उपभोग में बैजा बाधा दखल करने लगे है। वादग्रस्त वादी की खातेदारी अनुसार वादग्रस्त भूमि में जबरन कब्जा करने व मौके पर कच्चा पक्का गैर कानूनी रोड रास्ता व अन्य कच्चा पक्का निर्माण कराने पर आमदा है. जिसका अधिकार प्रतिवादीगण को कतई ही नहीं है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वादग्रस्त आराजियात में बादी अपने विधिक राजस्व इन्द्राज के तहत बहैसियत खातेदार काबिज कास्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम शुदा है. जो कि राजस्व रिकार्ड में खाता मिलिकियत व स्वामित्य बादी के खातेदारी दर्ज है. जो कि वादग्रस्त खातेदारी भूमि वादग्रस्त में प्रतिवादीगण सहित उनके परिवार का कोई विधिक सम्बन्ध व लेना देना नहीं है। दिनांक 29.09.2024 को अपने नाजायज इरादों में कामयाब होने के उद्देश्य से प्रतिवादीगण ने अपने परिवारजन द्वारा एक राय से मौके पर वादी की खातेदारी अनुसार वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी व पूर्वी सीमाओं के अन्तर्गत अवैध घुसपैठ सहित अपना निजि व अवैध अकृषि प्रयोजनार्थ कच्चा पक्का निर्माण कर कब्जा करने पर आमदा हो गये। मौके वादी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर मौके पर नाजायज लठबल के आधार पर कच्चा पक्का निर्माण कराने हेतु नींव खुदाई कार्य करना प्रारम्भ कर दिया एवं वादी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण सहित मौके पर जबरन पुख्ता कच्चा पक्का निर्माण कराने की धमकियां दी। जिसके लिए मौके पर झगडा फसाद करने पर आमदा हो गये. प्रतिवादीगण कानून को मानने से इन्कार करते हुए मौके पर वादग्रस्त भूमि में मेटेरियल डलवाने पर आमदा हो गये है। वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि में वादी के उपयोग उपभोग करने में रूकावट करने करने पर आमदा है. जिनका अधिकार प्रतिवादीगण को कतई ही नहीं है. जो कि वादी के उक्त कृत्यों को रूकवाने एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने तथा अपनी भूमियों की सीमा निर्धारण की घोषणा कराने का वादी अधिकारी है. जिसके अनुसार अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। जिसका वादी अधिकारी है।

अतः वाद में निर्णय व डिकी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिकी किया जावे कि वादी की खातेदारी अनुसार वादग्रस्त भूमि में जबरन कब्जा, अतिक्रमण व किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण इत्यादि नहीं करे एवं वादी के खातेदारी अनुसार काश्तकारी अधिकारों में किसी प्रकार से बाधा, दखल इत्यादि नही करे तथा उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं ही करे एवं अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, ठेकेदार, परिवारजन व अन्य लोगो से भी ना करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को रजि0 डाक नोटिस भिजवाये एक माह से अधिक का समय हो चुका है इसके उपरान्त भी उपस्थित नही हाने से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकिल वादी की प्रकरण में बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकिल वादी की बहस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं0 172 रकबा 0.5100 हैक्टेयर अनुसार वाकै ग्राम बोबाडी, पटवार हल्का बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 किसी प्रकार का कच्चा – पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, अवैध प्रवेश, अतिक्रमण, कब्जा इत्यादि नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे।

निर्णय आज दिनांक 12/08/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

सहायक कलक्टर

(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
184 / 2024	01 / 10 / 2024	12 / 08 / 2025

1-कल्लूराम पुत्र रामसहाय उम्र 61 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

..वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र सेडूराम
2. तेजपाल पुत्र रामचन्द्र
3. राजकुमार पुत्र ज्ञानचन्द
4. सीताराम पुत्र ज्ञानचन्द
5. विनोद पुत्र ज्ञानचन्द जाति रैगर निवासी बोबाडी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
6. राज० सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा वकिल वादी

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: डिकी आदेश :– दिनांक 12 / 08 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री राजेश मीना बहाजिरी श्री महेश शर्मा वकिल वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर के वाद को स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं0 172 रकबा 0.5100 हैक्टेयर अनुसार वाकै ग्राम बोबाडी, पटवार हल्का बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 किसी प्रकार का कच्चा – पक्का निर्माण कार्य नहीं करें, अवैध प्रवेश, अतिक्रमण, कब्जा इत्यादि नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 12 / 08 / 2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़